Title: Regarding Government Business for the remaining part of the Current Session.

12.02 hrs.

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि चालू सत्र की शेष अवधि के दौरान इस सदन में

निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

१. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

२. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप मे पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, १९९८ पर विचार और पारित करना।

३. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, १९९८ तथा केन्द्रीय सतर्कता

आयोग (संशोधन) अध्यादेश, १९९८ का निरनुमोदन चाहने वाले

सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक,

१९९८ पर विचार तथा पारित करना।

४. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, १९९८ का निरनुमोदन चाहने वाले

सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कंपनी (संशोधन) विधेयक, १९९८

पर विचार और पारित करना।

५. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, १९९८

(ख) बिहार पुनर्गठन विधेयक, १९९८

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इसका घोर विरोध होगा।

... (व्यवधान)

हम बार-बार चेता रहे हैं कि यह खतरनाक काम मत करिए नहीं तो इसका भारी विरोध होगा।

... (व्यवधान)

बिहार का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: बाद में होता है। आप पूछ लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रस्ताव के बाद बिल लाना चाह रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): यह बिहार का बंटवारा

... (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: महोदय, आगे है:

(ग) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, १९९८

(घ) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, १९९८

(ड़) सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९९८

(च) वस्तु बोर्ड/निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, १९९८

६. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, १९९७

(ख) भारतीय वयस्कता (संशोघन) विधेयक, १९९७

(ग) महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, १९९८

(घ) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९९८

७. वर्ष १९८९-९१ के लिए अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के तत्कालीन

आयुक्त के ३०वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

MR. SPEAKER: Now, we will take up Submissions.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I would like to make a submission. My name is not there in the List.

MR. SPEAKER: You give a notice first.

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए -

१. विलेज डिफेंस के प्रत्येक सदस्यों को जो सैनिकों के समान कार्य कर रहे हैं, १५०० रु. मास मानदेय दिया जाए तथा प्रत्येक कमेटी को एक सोफैस्टिकेटेड वैपन और वायरलैस सैट प्रदान किया जाए, ताकि वह सुदृढ़ता से विदेशी भाड़े के टटुओं का मुकाबला कर सके।

२. पंजाब और जम्मू को मिलाते हुए रावी नदी पर शीघ्र ही एक पुल का निर्माण हो और रंजीत डैम बनने से जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन्हें फिर से बसाया जाए। केन्द्र सरकार शीघ्र ऐसी व्यवस्था करे, ताकि बसोहली, बिलावर तथा बनी के लोगों को राहत मिले।

>डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा):अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए -

१. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के तहत सिरसा जिले मेंएक रीजनल सैंटर प्रारम्भा करने का निर्णय लिया गया था तथा इसके लिए फलकन ग्राम पंचायत ने १०० एकड़ से अधिक भूमि भी उपलब्ध करायी जिसे राज्य सरकार ने भी १७ फरवरी, १९९३ को मंजूरी दे दी। किन्तु इसके बाद मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के बीच अधर में लम्बित होकर रह गया है।

अतः मेरी सराकर से आग्रह है कि इस सैन्टर की स्थापना के लिए सरकार संबंधित विभागों से सम्पर्क कर आग्रह करे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े सिरसा जिले में यह सैन्टर स्थापित हो और स्थानीय नवयुवक शिक्षा से लाभ उठा सकें।

>

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री को अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सलाह देने की अनुमति चाहता हूं -

१. पिछले वर्ष गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर बिहार के समस्तीपुर जिले में समस्तीपुर और दलसिंह सराय के कृषि बाजार समिति के प्रांगन में आलू एवं फलों के भण्डारण के लिए शीत गृह के निर्माण के लिए तत्कालीन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और केन्द्रीय भण्डार निगम के अफसरों की उपस्थिति में बिहार के मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया था। एक साल बीत जाने के बाद भी वहां शीत गृह का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है। सरकार उन स्थानों पर शीत गृह के निर्माण पर विचार करें।

२.श्रीमान, बिहार का समस्तीपुर जिला ईख उत्पादक क्षेत्र था, यहां दो चीनी मिलें समस्तपुर और हसनपुर में थी। समस्तीपुर चीनी मिल मालिकों ने इससे भरपूर लाभ कमाया किन्तु मील का आधुनिकीकरण नहीं किया और समस्तपुर का मिल बीमार हो गया। फिर सरकारीकरण किया गया, पर यह लाभप्रद नहीं हो पाया और आज यह बन्द है। मिल का आधुनिकीकरण कर चालू कराने पर विचार किया जाए जिससे वहां के किसानों को अपने उत्पादन का मूल्य मिले और मजदूरों को रोजगार।

>

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को दिनांक १८.१२.९८ की कार्रवाई में शामिल करने की अनुमति प्रदान करें -

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २८ पर वर्ष १९६४ में किमी २६२ पर राप्ती नदी पर ९ स्पान पर ४१० मीटर लम्बा वैलेंस काण्टीलीवर सेतु बनाया गया था।

अब लगभग ३४ वर्ष के बाद उक्त सेतु काफी जर्जर अवस्था में है, जबकि यातायात का भार १९६४ की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। संकरा व कमजोर होने के कारण अब यह पुल भारी बोझ ४०००० पीसीयू सहन करने की स्थिति में नहीं रह गया है। सेतु के सस्पेंडिड स्पेन की कुछ बेयरिंग भी झुक गई है। बिहार, बंगाल पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के अलावा नेपाल जाने के लिए यह एक मात्र सेतु है। इसके अलावा गोरखपुर उत्तरी भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल होने कारण बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. २९ ओर रा.रा.मा. संख्या २८ का यातायात के लिए एक मात्र सेतु होने के कारण घंटों यातायात बाधित रहता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २८ के किमी. २६२ में राप्ती नदी पर नए सेतु निर्माण का प्रावधान भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक योजना १९९८-९९ में सम्मिलित किया जाए।

>

SHRI K.P. MOHAN (DHARMAPURI): The following items may be included in the next week's agenda:-

1. Restoration of closed railway stations all over the country including the railway station at Mettur in Dharmapuri District.

2. To prevent accidents at unmanned railway crossings by taking proper steps such as creation of gates, etc.

>

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नांकित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:-

१. राजस्थान के बारां जिले के विभिन्न ग्रामों की कृषि भूमि को सिंचित करने त

वाली पार्वती नदी की नहरों एवं जीर्णशीर्ण हो चुके पुराने बांध के रख-रखाव तथा पुनर्निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उचिच संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं।

२. मेज नदी के व्यर्थ बह कर जा रहे जल के कृषि एवं विद्युत उत्पादन में त

उपयोग हेतु बून्दी (राजस्थान) जिले के ग्राम बांसखेड़ा के समीप प्रस्तावित बांध का सर्वे करवाया जाकर इस बहुउद्देशीय बांध निर्माण योजना को मूर्त रूप दिया जाये। धन्यवाद।

>

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं:-

१. वन संरक्षण नियम १९८० संशोधन एवं कानून को सरल तथा व्यावहारिक बना कर त

रूकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में।

२. संपूर्ण रोजगार के आधार पर अकाल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के के.बी.के. त

प्लान की तरह देवभोग मेनपुर प्लान बनाये जाने के संबंध में। धन्यवाद।

>

श्री बची सिंह रावत ठबचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें:-

१. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्र के लिये त

प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न आपूर्ति किये जाने हेतु पूर्व की भांति आर.पी.डी.एस. प्रणाली प्रारम्भ कर प्रति यूनिट खाद्यान्न (१८ किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह) उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

२. कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को पूर्व की भांति उ.प्र. के पिथौरागढ़ जिले त

से होकर जाने वाले पौराणिक व ऐतिहासिक परम्परागत यात्रा मार्ग से संचालित किये जाने की आवश्यकता। धन्यवाद।

>

PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): The following item may be included in next week's agenda:-

The time has come when a draconian law like TADA should be totally done away with. Parliament has already disapproved it as a law for prospective application. As for old cases, the TADA can continue to be applied to cases such as Rajiv Gandhi Assassination case and cases relating to terrorism in Kashmir and Punjab provided these are dealt with absolutely fairly. The rest of the cases should be dealt with under other laws of the land. Innocent people like Sanjay Dutt should be dealt with under other laws of the land such as the Arms Act, etc. and not continue to suffer under TADA.

>

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव सम्मिलित किये जायें:-

क. दिल्ली, अलीगढ़, एटा, कानपुर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाये।

ख. कानपुर, फरूर्खाबाद जनपद के आलू उत्पादकों को उनके उत्पादन का सही मूल्य त

दिलाने हेतु आलू की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर की जाये। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Now, we shall take up item no. 9A - Shri Madan Lal Khurana.

... (Interruptions)

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Sir, I have given a notice that Women's Reservation Bill be included in the next week's Business. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Madam, not now.

... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, I would respectfully submit only one thing ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Not now.

... (Interruptions)

12.15 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Eighth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI MADAN LAL KHURANA): Sir, I beg to present the Eighth Report of the Business Advisory Committee.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is an observation from the Chair.

... (Interruptions)